Telefax :-0294-2471302, 2410570(O) - 2410570, Email:-registrar.mpuat.udaipur@gmail.com / registrar@mpuat.ac.in, Website: mpuat.ac.in

MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, UDAIPUR

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः मप्रकृप्रौविवि / नियुक्ति / 2024 / S-2/05/05

दिनांक : 05 मई 2024

सूचना

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा जारी वाहन चालक पद हेतु विज्ञापन संख्या 03/2022 दिनांक 01 अगस्त, 2022 के अनुसरण मे प्रथम चरण में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को निम्नांकित स्थान, दिनांक एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य हैं। **नियत दिनांक एवं समय पर अनुस्पथित अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।**

स्थान	प्लसमेन्ट सभागार प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय **(CTAE)** विश्वविद्यालय केम्पस, मप्रकृप्रौविवि उदयपुर, (राजस्थान)

क्र. सं.	विवरण	अग्रेंजी वर्णमाला के अनुसार नाम का प्रथम अक्षर	उपस्थित होने हेतु निर्धारित दिनांक	उपस्थिति देने का समय
1.	**अनुसूचित क्षैत्र के वाहन चालक पद हेतु अभ्यर्थी**	A to Z	14 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
2	**गैर अनुसूचित क्षैत्र के वाहन चालक पद हेतु अभ्यर्थी**	A, B ,C	15 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
		D, E, F, G	16 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
		H, I, J, K	17 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
		L, M	18 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
		N, O ,P	20 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
		Q ,R	21 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
		S	22 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे
		T, U, V,W, X ,Y, Z	23 मई 2024	प्रातः 8.00 बजे

उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में लिखे स्थायी पते पर (Speed Post) डाक द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। डाक प्राप्त नही होने की दशा में विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु इस सूचना के माध्यम से भी यह सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी को सूचना डाक से प्राप्त नहीं होने की दशा में भी अभ्यर्थी नियत स्थान, दिनांक एवं समय पर निम्नलिखित निर्देशों की पालना करते हुये आवेदन की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते है।

(डॉ. बी.डी.कुमावत)
कुलसचिव

<u>वाहन चालक पद के प्रथम चरण – दस्तावेजों का सत्यापन, वजन एवं आँखों की जाँच के महत्वपूर्ण निर्देश</u>

1. वाहन चालक पद के लिए अभ्यर्थी प्रथम चरण में प्रातः 8.00 बजे केन्द्र पर रिपोर्ट करें।
2. केन्द्र में प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता मापदंडों के अनुसार स्वयं अपनी पात्रता की जाँच करलें। अपात्र अभ्यर्थी की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
3. अभ्यर्थी अपने साथ मूल वैध पहचान पत्र लेकर आये अन्यथा अभ्यर्थी को केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। आधार कार्ड / पेन कार्ड /डाइविंग लाईसेंस को वरीयता दें।
4. वाहन चालक पद हेतु चयन प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जायेगीः–

   प्रथम चरण – दस्तावेजों का सत्यापन, वजन एवं आँखों की जाँच सहित।

   द्वितीय चरण – Trade Test (ड्राइविंग टेस्ट एवं मोटर मेकैनिज्म, टैफिक नियम एवं सिग्नल से संबंधित जानकारी) ।
5. प्रथम चरण में सभी आवेदक दस्तावेजों की प्रारम्भिक जाँच हेतु उपरोक्त तिथि, नियत स्थान एवं समय पर अपनी उपस्थिति देगें।
6. प्रथम चरण के प्रारम्भिक दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निम्न लिखित मूल दस्तावेजों के साथ एक–एक स्वः प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर आवे जो कि आवेदन की तिथि से पूर्व के हो :

1. मान्यता प्राप्त स्कूल एवं बोर्ड से आठवीं कक्षा की उत्तीर्ण की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र ।
2. हल्के एवं भारी वाहन चालन हेतु वैध लाईसेंस ।
3. हल्के एवं भारी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि किसी संस्था/संगठन/कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो तथा आवेदन की तिथि से पूर्व में जारी किया हुआ हो।
4. प्रमाणिक एवं वैध जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी हेतु)।
5. प्रमाणिक एवं वैध आयु प्रमाण पत्र ।
6. पात्रता के संदर्भ में अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र।

7. अभ्यर्थी अपने साथ अधिकृत नेत्र विशेषज्ञ से आँखों की जॉच रिपोर्ट लेकर आवें जो कि सात दिवस से पुरानी नहीं होनी चाहिये एवं अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए आने से पूर्व सुनिश्चित करे कि उनका वजन 65 किलो से ज्यादा ना हो एवं आँखों की दृष्टि चश्में के बिना अथवा साथ में 6 x 6 हो। आँखों एवं वजन की **प्रमाणिकता एवं दस्तावेजों की जाँच विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट ही अन्तिम मानी जायेगी।**
8. (i) दस्तावेजों की जॉच एवं उपरोक्त समस्त जाँचों मे से किसी एक जॉच में भी अपात्र/अयोग्य अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

   (ii) दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि कोई आवेदक नकली/झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे आवेदकों के खिलाफ नियमानुसार पुलिस और कानूनी कार्यवाही लागू हो सकती है। कूटरचित (Fabricated) दस्तावेज पाये जाने की स्थिति मे वैध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

   (iii) अभ्यर्थी को इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होंगा।
9. प्रथम चरण में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु अलग से सूचित किया जायेगा।
10. द्वितीय चरण की परीक्षा 100 अंक की निर्धारित की गई है।
11. द्वितीय चरण की परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निश्चित समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट <u>www.rcaudaipur.com</u> पर उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।